राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
8, अरेरा हिल्स, भोपाल 462004

क्रमांक / शिशु स्वास्थ्य–पोषण / एन.एच.एम. / 2016 / 6119 भोपाल, दिनांक 29 / 06 / 2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश

विषय :– **वर्ष 2016–17 में पोषण–पुनर्वास केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशासकीय दिशा–निर्देश।**

*****

शिशु स्वास्थ्य–पोषण, वर्ष 2016–17 / परिपत्र क्रमांक –7

विषयान्तर्गत लेख है कि पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती गंभीर कुपोषित बच्चों का संस्थागत प्रबंधन आई.ए.पी. / विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक मापदण्ड अनुसार किया जा रहा है। पोषण पुनर्वास केन्द्र के समुचित उपयोग हेतु निम्नानुसार प्रशासकीय निर्देश दिये जाते है:–

- **पोषण पुनर्वास केन्द्र में गंभीर कुपोषित बच्चों की भर्ती हेतु कोई निर्धारित समय नहीं है।** अतः यह सुनिश्चित **किया जाये कि केन्द्र में उपचार हेतु आये समस्त गंभीर कुपोषित बच्चों को सर्वथा मानक उपचार प्राप्त हो।**
- गंभीर कुपोषित बच्चों में मृत्यु का जोखिम 11 गुना अधिक होता है, जिसमें से 6 माह से कम उम्र के शिशु, 2 वर्ष तक के बच्चे तथा घुम्क्कड़ प्रजाति के बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं।
- **पोषण पुर्नवास केन्द्र स्वास्थ्य संस्था का एक अभिन्न अंग है अतः केन्द्र के दैनिक रखरखाव, आवश्यक माईनर ढ़ॉचागत सुधार, चादरों की दैनिक धुलाई, दैनिक साफ–सफाई की व्यवस्था अस्पताल प्रशासन के दैनिक व्यवस्थाओं के अधीन ही सुनिश्चित की जाये।**
- **विशिष्ट कार्यो हेतु पोषण पुर्नवास केन्द्र** के वार्षिक प्रबंधन राशि का उपयोग किया जाये।
- **बेड ऑक्यूपेंसी दर में सुधार हेतु :–**
  - **पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं पोषण प्रशिक्षक द्वारा** महिला बाल विकास विभाग **के अधिकारियों एवं मैदानी कार्यकर्ताओं से समन्वय कर आगामी दो माह हेतु भर्ती योग्य गंभीर कुपोषित बच्चों की ग्रामवार नाम आधारित ड्यू लिस्ट संधारित की जाए ।**
  - बेहतर समन्वय हेतु पोषण प्रशिक्षक द्वारा सी.यू.जी. सिम का उपयोग अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।
  - विभिन्न चिकित्सालयों में पदस्थ शिशुरोग विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ओ.पी.डी. के दौरान भी गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें पोषण पुनर्वास केन्द्र में रेफर एवं भर्ती सुनिश्चित किया जाए।
- समस्त पोषण पुनर्वास केन्द्र मे साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये, सतत स्वच्छ पानी की उपलब्धता, शौचालय एवं स्नान घर की साफ–सफाई, शैय्यों पर स्वच्छ चादर की उपलब्धता आदि सुनिश्चित की जाए।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु आवश्यक औषधियों एवं सभी जरूरी किचन / Medical Equipments की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- **भर्ती बच्चों एवं उनकी माताओं का पृथक बेड साईड डिस्प्ले सुनिश्चित किया जाये। माताओं की स्वास्थ्य संबंधी जॉचे हिमोग्लोबिन तथा परिवार कल्याण सेवा संबंधी जानकारी बेड साईड डिस्प्ले पर प्रदर्शित रहे।**
- भर्ती बच्चे के साथ आये छोटे भाई–बहनों का टीकाकरण अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।
- **पोषण प्रशिक्षक द्वारा पोषण पुनर्वास केन्द्र से छुट्टी उपरांत गंभीर कुपोषित बच्चों के फॉलो–अप हेतु समय–सारणी दो प्रतियों में तैयार कर, एक प्रति बच्चे की माँ एवं परिजन को एवं एक प्रति आशा / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता / प्रेरक को दी जाना सुनिश्चित की जाए।**
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती अवधि के दौरान भर्ती बच्चों की माताओं को निःशुल्क भोजन प्रति महिला राशि ₹ 94 / – प्रतिदिन के मान से प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें।

- इस हेतु भर्ती बच्चों की माताओं को आंतरिक रोगी हेतु राज्य बजट में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रावधानित राशि ₹ 44 /– प्रतिदिन प्रति माता अनुसार भोजन प्रदाय किया जाए। अतिरिक्त राशि ₹ 50/– की प्रतिपूर्ति जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रावधानित राशि से की जाये **(परिशिष्ट–1)**।
- पोषण पुनर्वास केन्द्रों में समस्त अभिलेखों का संधारण त्रुटिरहित एवं नियमित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- यूनिसेफ के संभागीय पोषण समन्वयकों से समन्वय कर आई.वाई.सी.एफ. संबंधी डॉक्यूमेंट्री चलचित्र जैसे– सयानी काकी, Breast Crawl आदि का प्रदर्शन पोषण पुनर्वास केन्द्र पर उपलब्ध टी.वी. / एल.सी.डी. पर अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।
- चिकित्सा अधिकारी एवं पोषण प्रशिक्षक द्वारा यह सर्वथा सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी दशा में एन.आर. सी. के प्रोटोकॉल का उल्लंघन न हो एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की भर्ती मानक मापदण्डों के अनुरूप ही हो।

संलग्न – परिशिष्ट –1

(व्ही किरण गोपाल)
मिशन संचालक
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / शिशु स्वास्थ्य–पोषण / एन.एच.एम. / 2016 / 6120 **भोपाल,दिनांक 29 / 06 / 2016**

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. **प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।**
2. **आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।**
3. **संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, , भोपाल, मध्यप्रदेश।**
4. **संयुक्त संचालक, आर.एन.टी.सी.पी, मध्यप्रदेश।**
5. **समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।**
6. **अधिष्ठाता, मेडीकल कॉलेज, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, सागर मध्यप्रदेश।**
7. **अस्पताल अधीक्षक, AIIMS भोपाल, मध्यप्रदेश।**
8. **अस्पताल अधीक्षक, आर.डी.गार्डी मेडीकल कॉलेज, उज्जैन, मध्यप्रदेश।**
9. **समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।**
10. **पोषण विशेषज्ञ, यूनीसेफ, भोपाल, मध्यप्रदेश।**
11. **समस्त जिला MO NRC, मध्यप्रदेश।**
12. **समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. / एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।**
13. **समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश – निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को उपलब्ध करायें।**
14. **समस्त विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक, मध्यप्रदेश।**

मिशन संचालक,
एन.एच.एम.मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल, मध्य प्रदेश

क्र. : एफ 12–15/2011/17/मेडी–3 भोपाल, दिनांक :

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
   मध्य प्रदेश

विषय– शासकीय संस्थाओं में भर्ती गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं एस.एन.सी.यू. तथा एन.आर.सी. में भर्ती बच्चों की माताओं को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में

संदर्भः–1. संचालनालय का पत्र क्र. आरसीएच/एम.एच./2013/33 दिनांक 11.01.2013
2. संचालनालय का पत्र क्र. आरसीएच/एम.एच./2013/110 दिनांक 12.02.2013
3. संचालनालय का पत्र क्र. आरसीएच/एम.एच./2013/306 दिनांक 03.04.2013
4. संचालनालय का पत्र क्र. आरसीएच/एम.एच./2013/399 दिनांक 21.05.2013
5. संचालनालय का पत्र क्र. आरसीएच/एम.एच./2013/638 दिनांक 18.07.2013
6. संचालनालय का पत्र क्र. आरसीएच/एम.एच./2013/1090 दि. 18.11.2013

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं/धात्री एस.एन.सी.यू. तथा एन.आर.सी. में भर्ती बच्चों की माताओं के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तत्संबंध में जिलों को समय–समय पर संदर्भित पत्रों के द्वारा दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जे.एस.एस.के. मद में सामान्य प्रसव हेतु रूपये 50/– प्रति महिला प्रतिदिन के मान से 2 दिवस हेतु तथा सीजेरियन प्रसव के लिये 7 दिवस हेतु जिलों को निशुल्क भोजन स्वीकृत है। साथ ही राज्य बजट से गर्भवती महिलाओं हेतु रूपये 44/– की राशि भी स्वीकृत है। इस प्रकार कुल रूपये 94 प्रति महिला प्रतिदिन के मान से भोजन हेतु राशि प्रावधानित है।

संलग्न डाईट चार्ट अनुसार रूपये 80/– प्रति महिला प्रतिदिन के मान से गर्भवती महिलाओं/प्रसूताओं एवं एस.एन.सी.यू. तथा एन.आर.सी. में भर्ती बच्चों की माताओं के लिए भोजन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कुल स्वीकृत 94/– रूपये में से रूपये 80/– का भोजन प्रदान करने के उपरांत शेष रूपये 14/– प्रति महिला की राशि को भोजन व्यवस्था (रसोई गैस, बर्तन, कुक) में उपयोग किया जाए।

साथ ही भोजन की गुणवत्ता एवं प्रदायगी की मानीटरिंग सुनिश्चित की जाए।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वा. एवं प.क. विभाग